(1) S.O. 1778(E)., dated the 24th April, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 2065(E), dated the 25th June, 2019.

(2) S.O. 2220(E)., dated the 8th June, 2024, amending the Principal Notifications No. S.O. 3706(E), dated the 14th October, 2019 and S.O. 2819(E), dated the 19th August, 2020.

[Placed in Library. For (1) and (2) *See* No. L. T. 391/18/24]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Housing and Urban Affairs, under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957: -

(1) G.S.R. 117(E)., dated the 20th February, 2024, publishing the Delhi Development Authority, Commissioner (Systems), Recruitment Rules, 2024.

(2) G.S.R. 355(E), dated the 28th June, 2024, publishing the Delhi Development Authority, Commissioner (Planning), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2024

(3) G.S.R. 366(E)., dated the 4th July, 2024, publishing the Delhi Development Authority (Posts of Commissioner and Secretary) Recruitment (Amendment) Rules, 2024.

[Placed in Library. For (1) to (3) *See* No. L. T. 211/18/24]

Notifications of the Ministry of Jal Shakti

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) : महोदय, मैं बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 55 के अधीन जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूंः-

(1) TE-32/2/2023-NDSA-MOWR., dated the 14th March, 2024, publishing the National Dam Safety Authority Regulation, 2023.

(2) TE-32/2/2023-NDSA-MOWR., dated the 6th May, 2024, publishing the Inspection, Instrumentation, Seismic Data, Risk Assessment and Evaluation of Specified Dam Regulations, 2024.

(3) TE-32/2/2023-NDSA-MOWR., dated the 28th May, 2024, publishing the Surveillance, Inspection and Hydro-meteorological Station of Specified Dams Regulation, 2024.

(4) TE-32/2/2023-NDSA-MOWR., dated the 10th June, 2024, publishing the Quality Control Measures for Dam Construction Regulations, 2024.

[Placed in Library. For (1) to (4) *See* No. L. T. 392/18/24]

SHORT DURATION DISCUSSION

Recent tragic incident of death of students in a coaching institute in New Delhi due to alleged negligence of authorities - *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Sulata Deo, you have six minutes.

SHRIMATI SULATA DEO (Odisha): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर बोलने के लिए मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे ओडिशा के एक व्यक्ति हैं, उनके दोहे के साथ मैं अपनी बात रखूंगी। ओड़िया में बोलते हैं-

> * "Someone would mourn for ten days, some other for twelve days.But the mother, who carried the child in her womb for nine months, shall mourn and feel the pangs till her last breath."

सर, इसका मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स की डैथ हो गई है, जो मर गए हैं, कोई 10 दिन रोयेगा, कोई 12 दिन रोयेगा। मगर जो माँ है, जो अपने पेट में बच्चे को 9 महीने रखकर पैदा करती है, वह मरते दम तक उसके लिए रोयेगी और उसको याद करती रहेगी। मेरी ओर से उनको श्रद्धांजलि है, उन बच्चों को श्रद्धांजलि है। मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगी कि उन परिवारों को शक्ति दे, उस माँ को शक्ति दे कि वह कैसे इस दुख से उभरे। भगवान किसी माँ के साथ ऐसा न करे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। जब ऐसा होता है, तो बहुत दुख होता है।

सर, मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने एक अच्छी परम्परा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पर डिस्कशन करने की शुरू की है। हमें आशा रहेगी कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे बढ़ती महंगाई है, जैसे नीट स्कैम है, मणिपुर इश्यू है और असम में फ्लड का मामला है, हमें इन सारे विषयों पर भी डिस्कशन का मौका मिलेगा।

उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो बच्चे चले गए, वे तो वापस नहीं आ सकते, मगर ऐसी विधि व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे आगे इस तरह की घटनाएं न हों। देखा गया है, मेरे पूर्व वक्ता भी बोले कि जैसे मशरूम कल्टिवेशन होता है, उसी प्रकार से चारों तरफ कोचिंग सेंटर्स खड़े किए गए हैं। आज जिनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, उनका दिखाई देता है कि उनकी फिजिकल डैथ हो गई है, मगर कितने बच्चे हैं, कितने माँ-बाप हैं, जो मेंटली मरते रहते हैं, वे सालों भर, महीने भर और दिन भर, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत गरीब होते हैं,

---

* English translation of the portion of speech delivered in Odia.